


OFFICE OF THE GENERAL MANAGER
DEPARTMENT
HOUSE, RANCHI

सूचना


कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री प्रमोद करमाली पिता बिरु करमाली और नरेश करमाली पिता हरिदास करमाली निवासी ग्राम: केदला , थाना: मांडू, जिला: रामगढ़ (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: केदला और थाना सं: 160 (गैरमजूरवा) खाता सं. 01, के अधीन प्लॉट सं. 243/1361, 243/1362 और 371/1348(पी), कुल रकबा - 4.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: केदला, थाना: मांडू, जिला: रामगढ़ (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: केदला, थाना सं: 160 (गैरमजूरवा) खाता सं. 01, के अधीन प्लॉट सं. 243/1361, 243/1362 और 371/1348(पी), कुल रकबा - 4.00 एकड़ के तहत श्री प्रमोद करमाली पिता बिरु करमाली और नरेश करमाली पिता हरिदास करमाली निवासी ग्राम: केदला, थाना: मांडू, जिला: रामगढ़ (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।


13/12/18

Yours faithfully


General Manager (L&R),
CCL, Ranchi